

मेसर्स श्री रुपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम- सराईपाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत 1. स्पंज ऑयरन प्लांट क्षमता - 90,000 टीपीए, 2. एम. एस. इंगाट्स बिलेट्स स्थापित क्षमता - 33,500 टी.पी.ए. प्रस्तावित क्षमता 90,000 टी.पी.ए. कुल क्षमता 1,23,500 टीपीए, 3. टी. एम. टी. बार्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स/वायर रॉड मिल स्थापित क्षमता - 4800 टी.पी.ए. प्रस्तावित क्षमता - 90,000 टी.पी.ए. कुल क्षमता 94,800 टीपीए, 4. प्रस्तावित केप्टिव पॉवर प्लांट (18 मेगावॉट) डब्लू. एच. आर. बी. 6 मेगावॉट एवं एफ. बी. सी. 12 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 28.08.2010 का कार्यवाही विवरण -

मेसर्स श्री रुपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम- सराईपाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत 1. स्पंज ऑयरन प्लांट क्षमता - 90,000 टीपीए, 2. एम. एस. इंगाट्स बिलेट्स स्थापित क्षमता - 33,500 टी.पी.ए. प्रस्तावित क्षमता 90,000 टी.पी.ए. कुल क्षमता 1,23,500 टीपीए, 3. टी. एम. टी. बार्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स/वायर रॉड मिल स्थापित क्षमता - 4800 टी.पी.ए. प्रस्तावित क्षमता - 90,000 टी.पी.ए. कुल क्षमता 94,800 टीपीए, 4. प्रस्तावित केप्टिव पॉवर प्लांट (18 मेगावॉट) डब्लू. एच. आर. बी. 6 मेगावॉट एवं एफ. बी. सी. 12 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 28.08.2010 स्थान उद्योग के बाजू का खुला मैदान ग्राम सराईपाली, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवायी में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ तहसीलदार, तमनार तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवायी में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई. ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवायी में लगभग 2000 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 130 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री पवन अग्रवाल, डायरेक्टर ने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 770 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये -

सर्वश्री -

1. विश्वेसर प्रसाद भोय, सराईपाली - मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

2. बिहारी लाल भोय, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड के विस्तार के लिये समर्थन करता हूँ।
3. हेमंत गोयल, रायगढ़ – आज उद्योग रायगढ़ की आवश्यकता बनते जा रही है। उद्योगों के लगने से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज रुपानाधाम स्टील के विस्तार के लिये हम एकत्र हुए हैं। आज रायगढ़ उद्योग के नाम से भारत में एक स्थान रखता है। उद्योग लगने से युवा वर्ग को काम मिलेगा।
4. गौतम प्रसाद यादव, समारुमा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
5. विष्णु यादव, समारुमा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
6. लखी यादव, समारुमा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
7. लक्की यादव, समारुमा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
8. महावीर यादव, समारुमा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
9. जीवन, पड़कीबहरी –
10. कैलाश यादव, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
11. भगवान लाल राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
12. गणेश राम राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
13. लक्ष्मी प्रसाद, समारुमा – मैं उद्योग का समर्थन करता हूँ।
14. विजय राम, तुमीडीह – मैं 8 एकड़ का मालिक हूँ। कोसाबाड़ी के समिति का मेरे को पैसा नहीं मिला है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा समर्थन नहीं है। हमको गोली चलाना है। मर जायेंगे।
15. श्याम लाल यादव, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
16. गोपाल यादव, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
17. घसियाराम राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
18. गोविंद राम राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
19. अर्जुन राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
20. अभिमन्यु राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
21. शंकर राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
22. हेमचंद्र, पूंजीपथरा – प्लांट को समर्थन है।
23. सुशील कुमार साव, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

24. खखनु यादव, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
25. बाली, पूंजीपथरा – प्लांट को समर्थन है।
26. हीरालाल, छडोरिया – मैं समर्थन करता हूँ।
27. दुश्मन डोंडिया, पूंजीपथरा – मैं समर्थन करता हूँ।
28. सुशील पाण्डेय, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
29. अतुल शर्मा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। इस कंपनी के खुलने से सराईपाली और रायगढ़ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।
30. शुभम जोशी, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
31. विवेक शर्मा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
32. सिद्धांत बहिदार, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
33. जितेन्द्र मिश्रा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
34. योगेश चौधरी, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
35. लुकमान हुसैन, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
36. अंकित शर्मा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
37. विरेन्द्र यादव, पूंजीपथर – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
38. कुंजबिहारी गुप्ता, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
39. विष्णु चन्द्र शर्मा, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
40. धीरज गुरु, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
41. मनीष शर्मा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
42. बलराम झा, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
43. सबक सोना, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
44. अजय सिंह राजपूत, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
45. नीतिश, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
46. मनफूल, तुमीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
47. मेगनी प्रसाद शुक्ला, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
48. फूलमती, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
49. कान्ति बाई, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
50. गुरबारी, अमलीडीह – समर्थन करती हूँ।
51. मोहनमती, अमलीडीह – समर्थन है।
52. पदमा, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
53. सुमित्रा बाई, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
54. बूदकुंवर, छैडोलिया – सहमत हैं।

55. कमला बाई, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
56. सनकुंवर, अमलीडीह – समर्थन करती हूँ।
57. रामशीला, छैडोलिया – समर्थन है।
58. धनमति, छैडोलिया – समर्थन है।
59. फूलमति, छैडोलिया – समर्थन है।
60. बुधवारो, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
61. सुकान्ति, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
62. विमला, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
63. बुधनि, छैडोलिया – समर्थन करती हूँ।
64. नानकुंवर, अमलीडीह – समर्थन करती हूँ।
65. ज्ञानमति, अमलीडीह – समर्थन है।
66. पवित्रा, अमलीडीह – समर्थन करती हूँ।
67. श्यानो प्रधान, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
68. अमृतो, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
69. अहिल्या बाई, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
70. सरोजनी बाई, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
71. प्रेमशीला भोय, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
72. देवमति, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
73. ननदेवी, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
74. पल्लवी प्रधान, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
75. जानकी गुप्ता, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
76. जैमा, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
77. नौदाई गुप्ता, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
78. पदमा प्रधान, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
79. कियावति, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
80. सुरुबाली, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
81. मीराबाई, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
82. रुकमणी, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
83. हेमवती साहू, बगबुड़ा – फैक्ट्री को समर्थन करती हूँ। बाहर के लोगों का विरोध नहीं माना जाये। हमारा समर्थन है।
84. प्रेमबाई, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
85. शारदा बाई, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
86. बूंदो बाई, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
87. जानकी, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
88. सपना बाई, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
89. रमोला, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
90. सुमित्रा बाई, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
91. रथमति, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
92. शारदा, पूंजीपथरा – समर्थन करती हूँ।
93. विलासनी, कचकोबा – समर्थन करती हूँ।
94. गणेशी बाई, कचकोबा – समर्थन करती हूँ।

95. साधना पैकरा, कचकोबा – समर्थन करती हूँ।
96. छायावति, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
97. ललिता बाई, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
98. समशीला बाई, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
99. आनंद कुंवर, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
100. आरती, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
101. जनक कुमारी, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
102. आनंदमति, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
103. उर्मिला बाई, डोकरमुड़ा – फैक्ट्री का समर्थन करती हूँ। गरीबों के लिये फैक्ट्री काम दे।
104. रुकमणी बाई, डोकरमुड़ा – काम मिलना चाहिए।
105. अहिल्या बाई वैष्णव, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
106. चन्द्रावति, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
107. गुरबारी बाई, डोकरमुड़ा – समर्थन करती हूँ।
108. पूनम, बरपाली – समर्थन करती हूँ।
109. तारा, बरपाली – समर्थन करती हूँ।
110. चन्द्र कुमारी, बरपाली – समर्थन करती हूँ।
111. विमला, हर्राडीह – समर्थन करती हूँ।
112. जानकी, हर्राडीह – समर्थन करती हूँ।
113. कुलीमति, हर्राडीह – समर्थन करती हूँ।
114. संकुली बाई, हर्राडीह – काम करने आये हैं।
115. हेमवति, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
116. गायत्री, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
117. सावित्री, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
118. सुभाष मिश्रा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
119. सुशील दास, छैडोलिया – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
120. विजय शर्मा, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
121. राहुल सिंह, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
122. सोनू सिंह, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
123. संतोष झा, पूंजीपथरा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
124. चून्नी लाल, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
125. सुरेन्द्र कुमार भोय, उप सरपंच, सराईपाली – हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे उपलब्धी हुआ है। यह प्लांट हमारे जमीन में ही है, यह 50 एकड़ जमीन है। आज यहाँ विस्तार होने जा रहा है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको पहला प्राथमिकता दी जाये, ग्राम पंचायत सराईपाली में लोक कल्याणकारी, सामाजिक कार्य हुआ है। इस ग्राम पंचायत में आस-पास के उद्योगों के द्वारा 10 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। 80 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ के उद्योगों में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के सारे उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूँ उनसे हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इस प्लांट के स्थापना के लिये अपने ग्राम पंचायत की ओर से सहमती प्रदान करता हूँ। हमें रोजगार मिलना चाहिए।

126. पदमा, बरपाली – मैं रुपानाधाम स्टील को समर्थन करती हूँ। कंपनी के खुलने से गरीबों को काम मिलेगा।
127. मीना, बरपाली – रुपानाधान को समर्थन है।
128. सावित्री, बरपाली – रुपानाधान को समर्थन है।
129. उदिता, बरपाली – रुपानाधान को समर्थन है।
130. गोमति, बागबहरा – रुपानाधान को समर्थन है।
131. पुष्पा नायक, काडरो – रुपानाधान को समर्थन है।
132. मोहन सिंह, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
133. विनय कुमार, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
134. कान्ति कुमार राठिया, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
135. छबीलाल राठिया, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
136. शिव स्वयंवर तिवारी, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
137. सुशील कुमार गौतम, बसना – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
138. किर्तन, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
139. रमेश कुमार त्रिपाठी, लाखा – बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये। मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
140. दुखिया मिंज, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
141. राजकुमार मिंज, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
142. वासुदेव यादव, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
143. राहुल शर्मा, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
144. मुरलीधर, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
145. चतुर साय डलकी, मुड़ापारा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
146. छोटू, लाखा – फैक्ट्री को समर्थन है।
147. दुखलाल, लाखा – काम मिलना चाहिए।
148. महेत्तर चौहान, भुईकुर्ी – समर्थन करता हूँ।
149. गोपिचंद चौहान, भुईकुर्ी – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
150. बोधराम चौहान, भुईकुर्ी – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
151. घसिया, भुईकुर्ी – समर्थन है।
152. नथु, लाखा – देखने के लिये आये हैं।
153. लाल सिंह, लाखा – फैक्ट्री को समर्थन है।
154. शम्भू राम, लाखा – समर्थन करता हूँ।
155. गोविन्दराम, भुईकुर्ी – समर्थन करता हूँ।
156. लादूराम, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

157. ललित कुमार, लाखा – समर्थन करता हूँ।
158. सोभाराम, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
159. मुकेश गुप्ता, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
160. महेश गुप्ता, लाखा – समर्थन करता हूँ।
161. कन्हैया यादव, लाखा – समर्थन करता हूँ।
162. बाली, लाखा – समर्थन करता हूँ।
163. पदमन कुमार, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
164. रामलाल प्रधान, पंच अमलीडीह – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
165. बाबूलाल, पंच, छैडोलिया – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
166. भगत राम यादव, सुमरा – हमें कुछ नहीं मिल रहा है। फ़ैक्ट्री में आधा पैसा मिलता है आधा नहीं मिलता है।
167. श्याम कुमार राठिया, अमलीडीह – फ़ैक्ट्री का समर्थन है।
168. मालती बाई चौहान, देवरी – मैं समर्थन करती हूँ।
169. गुरबारी, मिट्टीकोना – समर्थन है।
170. कचरा बाई, खड़गपुर – समुह को कुछ काम मिलना चाहिए। समर्थन है।
171. लीलान्द्र, खड़कपुर – काम मिले। समर्थन है।
172. चैनमति यादव, जिवरी – काम मिले, समर्थन है।
173. पदमा साव, पंच, जिवरी – काम मिले, समर्थन है।
174. उदय दास, अमलीडीह – मैं समर्थन कर रहा हूँ।
175. सगुन चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
176. भगत राम राठिया, अमलीडीह – समर्थन करता हूँ।
177. मोहन निषाद, लाखा – इस फ़ैक्ट्री का समर्थन है।
178. पंचू राम सिदार, लाखा – समर्थन करता हूँ।
179. उचित कुमार, लाखा – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
180. जगत राम राठिया, अमलीडीह – समर्थन के लिये आये हैं।
181. भादूराम राठिया, भेंदरा – समर्थन करते हैं।
182. दशरथ राठिया, भेंदरा – समर्थन है।
183. रघुराम, तराईमाल – कंपनी को समर्थन है।
184. विजय कुमार डनसेना, गेरवानी – देश का विकास कृषि एवं उद्योग से होती है, उद्योग से ही देश का विकास होता है। मैं उद्योग का समर्थक रहा हूँ और रहूँगा, जिस स्तर में रुपानाधाम स्टील अपने फ़ैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं, उसी स्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास करें। मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
185. रोहित कुमार उरांव, गेरवानी – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
186. दयाराम, तराईमाल – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
187. गोविन्द राम, तराईमाल – मैं रुपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
188. एतवार, तराईमाल – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
189. समारुराम, तराईमाल – इस फ़ैक्ट्री को समर्थन है।

190. राधेश्याम, तराईमाल – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
191. नकुल राठिया, तराईमाल – मेरा समर्थन है।
192. लक्ष्मी प्रसाद सोनी, तराईमाल – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
193. कार्तिक राम सिदार, लाखा – समर्थन करता हूँ।
194. उर्मति, भुईकुर्ी – मेरा बेटा सतोष बी. ए. पढ़ा लिखा है। उसको काम मिलना चाहिए। मैं समर्थन करती हूँ।
195. उर्मिला, भुईकुर्ी – रोजगार गारंटी का पैसा नहीं मिला है।
196. लखन, लाखा – समर्थन करता हूँ।
197. श्याम लाल, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
198. बिहारी लाल, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
199. बच्चुराम, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
200. महेत्तर, लाखा – समर्थन करता हूँ।
201. राजकुमार, लाखा – इस फैक्ट्री को समर्थन है।
202. पुल्टु, लाखा – समर्थन करता हूँ।
203. अमर लाल, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
204. असादु, लाखा – समर्थन है।
205. परदेशी राम चौहान, लाखा – समर्थन है।
206. शिव प्रसाद, लाखा – समर्थन करता हूँ।
207. दुकालू राम, लाखा – समर्थन है।
208. भारत लाल राठिया, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
209. टेकलाल, भुईकुर्ी – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
210. सुखलाल राउत, लाखा – समर्थन करता हूँ।
211. अमृत लाल सिदार, लाखा – फैक्ट्री को समर्थन है।
212. शिव प्रसाद, लाखा – समर्थन करता हूँ।
213. संतोष, लाखा – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
214. महेश कुमार भोय, देलारी – ई. आई. ए. रिपोर्ट जो बनाया गया है, वह फर्जी है। इसका एक भी नियम का पालन नहीं किया गया है। पंचायत को दिया गया ई. आई.ए रिपोर्ट में एक ही प्लांट का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र के सभी प्लांटों का रिपोर्ट दिया जाना था, यह ई. आई. ए. रिपोर्ट गलत है। यह अंग्रेजी में है, इसको हिन्दी में रुपान्तरण होना चाहिए, इसमें जिदल इण्डस्ट्रीयल पार्क की जानकारी दी गई है, जिसके अंदर 100 प्लांट है , उसकी जानकारी नहीं दी गई है। यह जन सुनवाई अवैध है, इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। जन सुनवाई कराकर जनता को चूतिया बनाया जा रहा है। इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाये।
215. चान्दुराम, लाखा – इस कंपनी का समर्थन है।
216. भोजराम पटेल, पंचधार सरिया – मुझे काम नहीं मिल रहा है, कंपनी से निवेदन है कि मुझे काम दिया जाये।
217. गोकुल प्रसाद यादव, देवरी – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
218. चन्द्रराम सुमन, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील को समर्थन करता हूँ।
219. विपिन पाण्डेय, सराईपाली – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
220. सावन सिंह, सराईपाली – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।

221. बुधुराम, बिहार – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
222. भरतलाल गुप्ता, सराईपाली – समर्थन करता हूँ।
223. गौतम कुमार, सराईपाली – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
224. अरुण कुमार, सराईपाली – मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
225. मंगल सिंह, सराईपाली – समर्थन करता हूँ।
226. प्रेमलाल, सराईपाली – कंपनी को समर्थन है।
227. अशोक कुमार, सराईपाली – कीर्तन करना चाहता हूँ। मैं रुपानाधाम को समर्थन करता हूँ।
228. हीराबाई, बरपाली – विरोध करना चाहते हैं,
229. जयमति, बरपाली – विरोध करना चाहते हैं
230. मालती, बरपाली – विरोध करना चाहते हैं
231. रूकमणी, बरपाली – विरोध करना चाहते हैं
232. यशोदा बाई – विरोध करना चाहते हैं
233. मोहरमति, बरपाली – विरोध करना चाहते हैं
234. सुकनिन बाई, बरपाली – विरोध है।
235. राधिका बाई, बरपाली – विरोध करती हूँ।
236. चम्पाबाई, बरपाली – विरोध है।
237. धनमेत, बरपाली – विरोध है।
238. रामकुंवर, बरपाली – विरोध करती हूँ।
239. सुन्दरमती, बरपाली – विरोध करती हूँ।
240. जमुना, बरपाली – विरोध है।
241. सोहनमति, बरपाली – विरोध करती हूँ।
242. पूरनमति, बरपाली – विरोध करती हूँ।
243. सुकवानी, बरपाली – विरोध करती हूँ।
244. कान्ति, बरपाली – विरोध करती हूँ।
245. बुधियारिन, बरपाली – विरोध करती हूँ।
246. देवमति, बरपाली – विरोध करती हूँ।
247. सोनमति, बरपाली – मेरा समर्थन है।
248. धनमति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
249. तेजमति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
250. फूलकुंवर, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
251. मनकुंवर, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
252. सुमित्रा, बरमकेला – समर्थन है।
253. नानदाई, बगबुड़ा – समर्थन है।
254. जगमति, बगबुड़ा – समर्थन करती हूँ।
255. पुनीमति, बगबुड़ा – समर्थन हो। विरोध मत करो।
256. प्राणमति, बगबुड़ा – समर्थन है।
257. मीरा बाई, बगबुड़ा – भूल गई हूँ।
258. उर्मिला, भुईकुर्ी – समर्थन करती हूँ।
259. फूलबाई, भुईकुर्ी – समर्थन है।
260. सूरज बाई, भालूमार – समर्थन करती हूँ।

261. बूंदरो, केरा – सिंघल में काम करती हूँ।
262. मांगमति, कचकोबा – सिंघल में ।
263. ललित कुमार, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
264. नीतिन, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
265. नुरषो, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
266. बराग सिंह राठिया, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
267. श्याम लाल, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
268. गोविन्द राम राठिया, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
269. सरोज राठिया, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
270. रामेश्वर, गुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
271. राजकुमार गुप्ता, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
272. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
273. ललित, बैहामुड़ा – कंपनी को समर्थन है।
274. रामप्रसाद राठिया, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
275. भजन, बैहामुड़ा – समर्थन करता हूँ।
276. वेणुधर सिदार, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
277. नरोत्तम, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
278. संतोष सिदार, छोटेगुमड़ा – समर्थन करता हूँ।
279. जगमोहन राठिया, छैडोलिया – समर्थन करता हूँ।
280. लक्ष्मी प्रसाद राठिया, छैडोलिया – समर्थन करता हूँ।
281. शंकर प्रसाद सोनी, जनपद सदस्य, तमनार, पूंजीपथरा – रुपानाधान स्टील का मैं समर्थन करता हूँ।
282. सुनील कुमार बेहरा, तराईमाल – हमारा राज्य एक बिन्दु की तरह है, यह प्लांट भी एक बिन्दु की तरह है, अगर इस देश का और इस स्थान का विकास करना है, प्लांट को लगाना चाहिए, विकास होने से भूखे-नंगों को रोटी मिलता है। आने वाली पीढ़ी अपने दम पर विकास को बढ़ाए। जन जन का नारा है, हर फैक्ट्री का विकास करना है। मैं रुपानाधान का समर्थन करता हूँ।
283. कुंदो बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
284. मेहतरीन, देलारी – समर्थन करती हूँ।
285. तीजमति बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
286. सुकमति, देलारी – समर्थन करती हूँ।
287. सीताबाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
288. अनिता कुमरी, देलारी – समर्थन करती हूँ।
289. नीता बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
290. मायावति, देलारी – समर्थन करती हूँ।
291. फगनी बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
292. रुकमणी, देलारी – समर्थन करती हूँ।
293. सुन्दरमती, देलारी – समर्थन करती हूँ।
294. जानकी बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
295. रथमति, देलारी – समर्थन करती हूँ।
296. रजनी साहु, देलारी – समर्थन करती हूँ।

297. पदुम, देलारी – समर्थन करती हूँ।
298. दुलारी बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
299. बुधियारिन, देलारी – समर्थन करती हूँ।
300. जयन्ति, देलारी – समर्थन करती हूँ।
301. मेहतारिन, देलारी – समर्थन करती हूँ।
302. कुन्ति बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
303. हंसो बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
304. भगवति बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
305. देवमति बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
306. बरखा देवी, देलारी – समर्थन करती हूँ।
307. समीरो, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
308. रामवति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
309. धनमति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
310. बसन्ती बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
311. बालमति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
312. रामवति, रीसोडा – समर्थन करती हूँ।
313. सुखरी बाई, भिसनडीह – समर्थन करती हूँ।
314. विमला, कमरिन – समर्थन करती हूँ। कमाने आये हैं।
315. कुमारी, आमाघाट – समर्थन करती हूँ।
316. दीपांजली, आमाघाट – समर्थन करती हूँ।
317. निशा, आमाघाट – समर्थन करती हूँ।
318. बबीता, आमाघाट – समर्थन करती हूँ। रोजी मजदूरी करते हैं।
319. लीलाबाई, आमाघाट – समर्थन करती हूँ।
320. मालती, आमाघाट – समर्थन करती हूँ।
321. बसन्ती, कमरीद – समर्थन करती हूँ।
322. ज्योति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
323. सुमित्रा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
324. लक्ष्मी, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
325. गोमति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
326. सत्यवती, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
327. भागवति, कमरीद – समर्थन करती हूँ।
328. स्वाति पैकरा, कांसाबेल – समर्थन करती हूँ।
329. उर्मिला, पत्थलगांव – सहमती है।
330. मनीरो, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
331. जयवति, छर्राटांगर – सहमत हूँ।
332. राजकुमार, छर्राटांगर – समर्थन करती हूँ।
333. गुलाबी, छर्राटांगर – समर्थन करती हूँ।
334. पदमावति, छर्राटांगर – समर्थन करती हूँ।
335. बुधमति, छर्राटांगर – समर्थन करती हूँ।
336. नानकुंवर, देलारी – समर्थन करती हूँ।
337. भोलोबाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।

338. निद्रा बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
339. शान्ति बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
340. कमला बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
341. पार्वती, देलारी – समर्थन करती हूँ।
342. गंगई बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
343. सुशीला बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
344. श्याम कुमार, देलारी – समर्थन करती हूँ।
345. बैजन्ती, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
346. प्रधान सिंह, गेरवनी – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
347. अजय सिंह, पूंजीपथरा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
348. दिलीप कुमार सिंह, गेरवानी – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
349. प्रदीप पाण्डेय, पूंजीपथरा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
350. जगदीश प्रसाद सोनी, पूंजीपथरा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
351. लालबाबू राज, पूंजीपथरा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
352. देवशरण गुप्ता, छोटेगुमड़ा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
353. दशरथ गुप्ता, छोटेगुमड़ा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
354. ईश्वर प्रसाद, छोटेगुमड़ा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
355. सुनील कुमार, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
356. ईश्वर भगत, तराईमाल – समर्थन करता हूँ।
357. हीरा सिंह, तराईमाल – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
358. बसीर खान, तराईमाल – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
359. रोशन कुमार, तराईमाल – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
360. विशाल निषाद, तराईमाल – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
361. भागीरथी सोनी, पूंजीपथरा – रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
362. खुर्शीद, तराईमाल – इस फ़ैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
363. शकुन्तला, देलारी – समर्थन करती हूँ।
364. पूनीमति, देलारी – समर्थन करती हूँ।
365. घसनीन, देलारी – समर्थन करती हूँ।
366. सरस्वती बाई, देलारी – समर्थन करती हूँ।
367. बसन्ती, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
368. मथुरा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
369. फूलमती, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
370. तीजो, बरपाली – समर्थन करती हूँ।
371. मीनासिंह, उड़ीसा – समर्थन करती हूँ।
372. तारा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
373. कु. गीतांजली, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
374. कु. अंजली भो, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
375. कु. गायत्री सिदार, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
376. संतोषी बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
377. पुष्पा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
378. कश्तुरी बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।

379. कारमेत बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
380. मनकुंवर बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
381. सनमति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
382. लक्ष्मी, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
383. शान्ति, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
384. मीरा बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
385. सनकुंवर बाई, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
386. सीमा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
387. संतोषी, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
388. पूजा, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
389. वीनिता, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
390. नरगीस, तुमीडीह – समर्थन करती हूँ।
391. गीतांजली, फीफाउडीह – समर्थन करती हूँ।
392. विरेन्द्र पैकरा, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
393. नवधा कुमार कर्ष, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
394. नीलकमल, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
395. शरण कुमार, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ। चूंकि इससे रोजगार मिलेगा।
396. राधेश्याम, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
397. राजेन्द्र दास, तराईमाल – किसी फैक्ट्री में जाने के बाद पूछा जाता है कि कहां के हो, और रोजगार नहीं दिया जाता है। कंपनी का समर्थन करता हूँ।
398. सुखसाय, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
399. विनय खलखो, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
400. सुरजो, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
401. रविन्द्र पैकरा, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
402. गंगाराम यादव, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
403. सुकरुराम, तराईमाल – रुपानाधान का विरोध करता हूँ।
404. कुमार सिंह ठाकुर, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
405. लीलाराम, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
406. आनंद राम, तराईमाल – विरोध करता हूँ।
407. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – एम. ए., बी. ए. क्लर्क बने तो क्या खास, सरपंच बने दूसरी पास। हमारे प्लांटों में प्रदूषण की जांच के लिये आते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। कंपनियों के द्वारा रात के दस बजे के बाद ई. एस. पी. को बंद कर दिया जाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। स्थानीय लोग जब बायोडाटा लेकर जाते हैं तो उनको काम नहीं दिया जाता है। रात का भी इनसे बिजली बिल लेना चाहिए। हमेशा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण का कोई विशेष दिवस नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को 30 प्रतिशत लोगों को कुशल, 30 प्रतिशत अकुशल मजदूरों को काम दिया जाना बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रायगढ़ जिले के लोगों की प्रतिभा को बढ़ने नहीं दिया जाता। कंपनी के लोग स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाये। प्लांट तो हमको और आपको खुश करके लगा लेगा।

408. भगवति, डीबाउडीह – समर्थन करती हूँ।
409. रेखा, मझवापुर – काम करने आयी हूँ।
410. सुनीता, चिभाउडीह – काम करने आई हूँ।
411. बुधमति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
412. रामवति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
413. सुकान्ति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
414. बुधमति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
415. गीता, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
416. सुकेसी, तराईमाल – विरोध करती हूँ।
417. श्याम बाई, तराईमाल – विरोध करती हूँ।
418. सुमति, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
419. राजकुमार, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
420. सुमित्रा कुमार, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
421. रुपा, तराईमाल – विरोध करती हूँ।
422. मेरीना, तराईमाल – समर्थन करती हूँ।
423. विमला बाई, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
424. चंपा, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
425. दुखनी, सराईपाली – समर्थन करती हूँ।
426. मीरा बाई, बांकीबहरी – समर्थन करती हूँ।
427. उर्मिला, बांकीबहरी – समर्थन करती हूँ।
428. प्रेमशीला, बांकीबहरी – समर्थन करती हूँ।
429. चिंतामणी भगत, तराईमाल – सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी छ.ग. में हैं, हम लोग बायोडाटा लेकर जाते हैं तो हमको घुमाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रुपानाधाम स्टील का समर्थन करता हूँ।
430. भगवति प्रसाद, बगबुड़ा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
431. निर्मल कुमार मालाकार, तराईमाल – रुपानाधाम स्टील यहाँ के आम जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करे। कंपनी का समर्थन करता हूँ।
432. शनिराम, तराईमाल – हम गरीब है, हमारे पास काम है नहीं, हमें काम मिलना चाहिए। हम छत्तीसगढ़िया हैं। कंपनी का समर्थन करता हूँ। खीरसागर की बात मेरी बात है।
433. पूर्णानंद गुप्ता, अमलीडीहा – मेरा बेटा यहाँ सिक्वोरिटी में काम कर चुका है उसका 9 दिन का भुगतान नहीं किया गया है। उसका भुगतान कर दिया जाये।
434. कुशउराम, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
435. तुरित राम, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
436. चक्रधर राठिया, भुईकुरी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
437. परमानंद, भुईकुरी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
438. हेमलाल चौहान, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
439. चैतराम, बरपाली – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
440. खेनो, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
441. घुरउ राम अघरिया, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
442. लखीया, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।

443. पिलीराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
444. नेहरुराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
445. गणेशराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
446. कपूरचंद, भुईकुर्ी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
447. गजेन्द्र चौहान, भुईकुर्ी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
448. शिव कुमार, पूंजीपथरा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
449. डिग्रीलाल , तुमीडीह – जब से प्लांट आया है तब से गरीबी कम हो गया है। हर घर में मोटर सायकल और सोना चांदी आ गया है। कंपनी का समर्थन करता हूँ।
450. धनेश्वर प्रसाद राठिया, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
451. रामायण, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
452. शिव कुमार, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
453. सुखराम चौहान, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
454. सोहन, सराईमुड़ा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
455. रामकुमार चौहान, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
456. रामजीवन, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
457. बुधराम, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
458. मंतोष, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
459. चमरा, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
460. चैतन, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
461. मनबोधराम, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
462. घासीराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
463. कार्तिक राम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
464. पुरन्धर पटेल, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
465. ननकीराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
466. करिया राम, सराईपाली – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
467. रांगा सिदार, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
468. मनबोध यादव, देलारी – हमारे पास खेती है तो है, मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
469. साधुलाल साहू, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
470. सुमित राम यादव, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
471. दुखनाशन , देलारी – यह जन सुनवाई अवैधानिक है, क्योंकि आवेदन के 45 दिन के अंदर जन सुनवाई होना चाहिए, लेकिन ढेड साल के बाद यह जन सुनवाई हो रही है। ई. आई. ए. फर्जी है। मार्कसीट अगर नकली बनाता है तो उसको सजा होती है, फिर इस ई. आई. ए. बनाने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। पानी लेने की अनुमति नहीं है। ग्राउण्ड वॉटर निकालने हेतु कंपनी को परमिशन नहीं है, जबकि इनके द्वारा ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सिंघनपुर गुफा और राम झरना आता है, जिसकी जानकारी नहीं है। यह क्षेत्र अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसका डायवर्सन 10 साल तक नहीं किया जा सकता फिर कैसे उद्योग लगाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन धोखे से लिया गया है, जबकि उनकी जमीन को नहीं खरीदा जा सकता। नगर निगम से 25 किलो मीटर की दूरी पर उद्योग खोला जा रहा है। नवदुर्गा प्लांट ने 10 एकड़

शासकीय भूमि को कब्जा कर लिया गया है, उसके उपर कोई कार्यवाही नहीं की रही है। कोयला का परिवहन मार्ग से किया जाना बताया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में 10 टन से अधिक वजन के गाड़ियों के लिये नहीं बना है। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ एक आदमी को हाथी के मारने मर 1 लाख मुआवजा दिया गया था, जब हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है तो मुआवजा क्यों दिया गया। इस क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ेंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा, इनके द्वारा समर्थन का कागज छपवा रखा है और उसको जमा कराया जा रहा है। जल स्तर घट जायेगा, मैं फ़ैक्ट्री का विरोध करता हूँ।

472. सहनूराम चौहान, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
473. दुखउराम, देलारी – समर्थन करता हूँ।
474. लखन, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
475. विरेन्द्र मौर्या, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
476. रोहित राम गुप्ता, देलारी – समर्थन करता हूँ।
477. देवलाल यादव, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
478. मोतीलाल राठिया, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
479. चैतराम राठिया, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
480. भेजराम राठिया, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
481. बुधु राम राठिया, देलारी – समर्थन करता हूँ।
482. मेहतो राम, देलारी – मैं रुपानाधान स्टील को समर्थन करता हूँ।
483. राधेश्याम उनसेना, चिरईपानी – मैं विरोध करता हूँ।
484. जत्थु राम पदमन, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
485. जितेन्द्र झा, गेरवानी – फ़ैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
486. प्रहलाद श्रीवास, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
487. कैलाश चौहान, गेरवानी – फ़ैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
488. रामचन्द्र उनसेना, गेरवानी – ई. आई. ए. रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है, यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो फिर सामारुमा मार्ग पर जो हाथी प्रभावित क्षेत्र बोर्ड लगा है उसे हटा दिया जाये। किसानों को बोर खुदवाने हेतु छूट दी जाती है, लेकिन उनको वह अनुमति नहीं दी जाती है। प्लाई एश का उपयोग सीमेन्ट प्लांट में उपयोग किया जाना बताया गया है, जबकि 50 किलो मीटर दूरी तक कोई सीमेन्ट प्लांट नहीं तो फिर वे प्लाई एश को कहाँ डालेंगे। मैं इस प्लांट का विरोध करता हूँ।
489. सजन, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
490. जय कुमार उनसेना, चिरईपानी – रुपानाधाम स्टील का विरोध करता हूँ।
491. रवी अग्रवाल, पंच, गेरवानी – इस जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाये क्योंकि उद्योग ने जो रिपोर्ट बनाया है वह गलत है, जब आम लोगों को सही जानकारी नहीं देना है, तो फिर उद्योग क्यों लगाया जा रहा है, इस ई. आई. ए. में 40 उद्योग होना बताया है जबकि केवल इण्डस्ट्रीयल पार्क में ही 40 से अधिक उद्योग हैं, सुनील उद्योग की जानकारी नहीं दी गई है, सिंघल एनर्जी का उल्लेख नहीं किया गया है। गेरवानी वन क्षेत्र को नारंगी वन क्षेत्र घोषित किया गया है, इसकी

- जानकारी नहीं दी गई है। गांव वालों को नौकरी देने के नाम पर धोखा दी जा रही है, जन सुनवाई को तत्काल निरस्त कर दिया जाये।
492. मंगतूराम, उज्जलपुर – मैं रुपानाधाम का विरोध करता हूँ।
 493. फागूलाल, गेरवानी – कंपनी का विरोध करता हूँ।
 494. बबू, उज्जलपुर – विरोध करता हूँ।
 495. रामप्यारे, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 496. हीरा सोना, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 497. बीवज कुमार, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 498. हरिशंकर, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 499. शिवराम, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 500. पवित्र राम, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 501. पंचराम, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 502. जगत राम, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 503. सुनील गुप्ता, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 504. चूणामणी, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 505. जैतराम यादव, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 506. ईश्वर निषाद, उज्जलपुर – लोकल आदमियों को काम नहीं दिया जाता है इसलिये मैं रुपानाधाम का विरोध करता हूँ। यूपी, बिहार, झारखंड के लोगो को काम पर क्यों रखा जाता है। मैं विरोध करता हूँ।
 507. नीलम, उज्जलपुर – मैं विरोध करता हूँ।
 508. गुरबारु भगत, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
 509. ठंडाराम, देलारी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 510. राजाराम, सराईपाली – समर्थन करता हूँ।
 511. जयराम यादव, समारुमा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 512. देवानंद, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 513. इच्छाराम, तुमीडीह – समर्थन करता हूँ।
 514. रोहित कुमार, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 515. सुशील कुमार, तुमीडीह – समर्थन करता हूँ।
 516. राधेराम, तुमीडीह – प्लांट का समर्थन करता हूँ।
 517. बलवंत प्रसाद भगत, तुमीडीह– समर्थन करता हूँ।
 518. बलराम भगत, तुमीडीह – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 519. लक्ष्मीप्रसाद , तुमीडिह– कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 520. मेघनाथ, पड़कीपहाड़– कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 521. जय राम यादव , पड़कीपहरी– कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 522. सुकरू सिदार , पड़कीपहरी– जो हाथी आ रहा है उसे भगाये ।
 523. रत्थुराम , पड़कीपहरी– कुछ नहीं ।
 524. सुनऊराम , पड़कीपहरी– कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 525. रंजीत , पड़कीपहरी– कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 526. सायाराम , अमलीडीह– कंपनी का समर्थन करता हूँ।

527. यशोदा सिदार, सरपंच, सराईपाली – हमारे देश के समुचित विकास के लिए उद्योग चाहिए साथ में ग्रामों का भी विकास होना चाहिए । और अन्य जनहित कार्यों के लिए उद्योग को हमेशा तत्पर होना चाहिए। कंपनी का समर्थन करता हूँ।
528. हाराबाई, गौरमुड़ी – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
529. सेतोबाई बेहरा, सराईपाली – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
530. सेतवति अघरिया , सराईपाली – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
531. सुकमति , तराईमाल – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
532. लीलावति , तराईमाल – विरोध करती है।
533. गुरवारी वैष्णव, तराईमाल – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
534. लीलावति तिग्ग, तराईमाल – विरोध करती हैं।
535. कुमारी, तराईमाल – विरोध करती हैं।
536. शान्ति भगत , तराईमाल – विरोध करती है।
537. विमला , तराईमाल – विरोध करती है।
538. गजाबाई , तराईमाल – विरोध करती है।
539. कन्हैया, देवरीडीह – रुपानाधाम को समर्थन है।
540. नन्दु, अमलीडीह – समर्थन है।
541. किर्तन, अमलीडीह – कंपनी को समर्थन है।
542. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – साथियों को जानकारी नहीं है कि कंपनी का समर्थन क्यों कर रहे है और विरोध क्यों कर रहे हैं। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी के आवेदन के 7 दिवस के भीतर अधिसूचना जारी कर दिया जाना चाहिए और 45 दिन के भीतर जन सुनवाई का आयोजन कराया जाना चाहिए, अगर किसी कारणवश क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई का आयोजन नहीं करा पाता तो उन स्थिति में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा जो जन सुनवाई करायेगा, अगर आज की जन सुनवाई को देखा जाये तो आज की जन सुनवाई गैर कानूनी हो जाती है। आज यह जन सुनवाई 8 माह – 1 साल बाद जो रही हैं। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के जीविकोपार्जन कृषि, वनोपज और पशुधन से होता है। आज इस क्षेत्र में महुआ का उत्पादन 10 प्रतिशत बचा है, डोरी का उत्पादन 10 प्रतिशत और तेंदुपत्ता जो सरकार का टारगेट होता है उससे 85 प्रतिशत आया और वह भी इतना क्वालिटी खराब है कि उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। केवल यह कंपनियों का करामात है। कंपनियां केवल रात में ही नही दिन में ई. एस. पी. नहीं चलाती, इस गांव के तालाब के पानी में इतना मलबा जम गया है, उस पानी का उपयोग गांव के लोग नहाने और निस्तारी हेतु करते हैं। देश के 72 प्रतिशत लोग कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, औद्योगिकरण से फैक्ट्री का विकास होता है, किसी समुदाय का नहीं। कंपनियों के द्वारा 24 घंटे ई. एस. पी. क्यों नहीं चलाया जाता, कुछ पैसा बचाने के लिये लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। इस देश का संविधान कहीं नहीं कहता कि कंपनियों देश की जनता के जीवन से खिलवाड़ करे। जब इस देश के अंदर यह कहा जाता है कि जो क्षेत्र विशेष अनुसूची क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद नहीं सकता, अगर आदिवासी की जमीन खरीदी गई है तो वह गैर कानूनी

है। किसी भी कृषि जमीन का डायवर्सन 10 वर्ष तक नहीं किया जा सकता। मेरी जमीन पूंजीपथरा में है उसका डायवर्सन नहीं हो रहा है, जबकि कंपनियों के द्वारा खरीदी जमीन का डायवर्सन 1-2 महीने में हो जाता है, इस क्षेत्र में फिर इतने सारे उद्योग कैसे खुल गये, तराईमाल क्षेत्र में जंगल के बीच में ही स्पंज ऑयसन प्लांट क्यों लगे हैं। इन कंपनियों की जमीन का जब 10 साल तक डायवर्सन नहीं हो सकता तो उद्योग प्रतिनिधि फिर इस जमीन पर क्या खेती करेंगे। जब डायवर्सन नहीं होगा तो उद्योग कैसे लगाया जा सकता है। लोगों का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है। आज की जो कंपनी की जन सुनवाई हो रही है, उसके 20 किलो मीटर के अंदर कोई सड़क नहीं है जिससे कोयला का परिवहन नहीं किया जा सकता। गोरवानी से राबो तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना है, उसका उपयोग कंपनियां करेंगी, क्या कंपनी अपना सड़क स्वतः निर्माण करेंगी और अगर नहीं करेगी तो उनका सामान हवा से जायेगा, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग केवल पेयजल और कृषि कार्य के लिये किया जाये। कंपनी के ई. आई. ए. में लिखा है कि 835 घन मीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जायेगा, एक साल में 3,75,800 घन मीटर पानी निकालेगा, तो आस-पास नवदुर्गा, रायगढ़ इस्पात है, इस क्षेत्र के जितने उद्योग हैं, उनमें से 2 लाख घन मीटर पानी नलवा को छोड़कर अन्य उद्योगों के द्वारा निकाला जायेगा। तो इस क्षेत्र में ग्राउण्ड वॉटर गिर जायेगा। पानी का बचत करे जनता और उपयोग करे उद्योग। कंपनी अगर 1000 और 1500 फीट से पानी निकालेगी तो ग्राम पंचायत में 250- 300 फीट के बोर सूख जायेंगे। सरकार की रिपोर्ट है कि रायगढ़ जिले में गर्मी के दिन में 915 हैण्डपंप से केवल हवा निकलता है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक नाला है, उस पर स्टाप डेम बना दिया जाये तो उस पानी का उपयोग यहाँ के 4-5 उद्योग को पानी की पूर्ति हो जायेगी, फिर उनके द्वारा ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग नहीं किया जायेगा। मेरे घर में दूध देने वाले जानवर थे, लेकिन अब आपके कारण नहीं है, यहीं विकास हुआ है मेरा। लोगों के जीवन जीने के सारे संसाधन को आप छीन लो। अभी कुछ दिन पहले टपरंगा में किसान के जमीन पर जिंदल द्वारा पांच मंजिल का मकान बना दिया गया और किसान को आश्वासन दिया गया कि आपकी जमीन को खरीद लिया जायेगा। लेकिन उस पर कब्जा कर लिया गया। कंपनी कहती है कि कोई गांव वहाँ विस्थापित नहीं होगा, चार गांव विस्थापित हो रहा है। जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका क्या होगा ? ई. आई. ए. में कुछ और लिखा होता है और वास्तविकता कुछ और होती है। यहाँ पर 35 से 40 माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड 210 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर बताती है, तो इनकी रिपोर्ट गलत है या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट गलत है। यह रिपोर्ट तराईमाल और पूंजीपथरा की है। यहाँ सामान्य से 8 से 9 गुना ज्यादा हवा में प्रदूषण है बताया गया है। अगर उसकी मात्रा 8 गुना ज्यादा है, उस क्षेत्र में जो पॉलिटैकनिक और इंजीनियरिंग कालेज बने हैं उसमें जो छात्र 3 साल तक अध्ययन करेंगे उन्हें दमा, पोलिया और खासी जैसे रोग हो जायेंगे। आपकी जो ई. आई. ए. रिपोर्ट बनी है वह फर्जी है। इसमें नहीं बताया गया है कि यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तमनार में उड़न गिलहरी मारने का 16 लोगों पर अपराध दर्ज है। इसका मतलब इस क्षेत्र में उड़न गिलहरी पाई जाती है। इस क्षेत्र में नील

गाय पाई जाती है। विधान सभा में जवाब दिया गया है कि 553 हाथियों का हमला इस क्षेत्र में हुआ है। 7 लोग हाथी के कुचलने से मरे हैं और रायगढ़ वन मंडल ने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हाथी प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया है। यदि आपकी रिपोर्ट सही है तो मैं यह मान लूँ कि फारेस्ट विभाग ने खा लिया है। ग्राम पंचायत सराईपाली के पीछे के गांव में एक व्यापारी की मौत हो गई। आस-पास के गांव में आदमी कम हाथी ज्यादा है। समारुमा में 15 हाथियों का मेरे पास क्लीपिंग है। इन बातों का सबमीशन ई. आई. ए. में होना चाहिए। मेरा तीन प्रश्न है। अगर आदिवासी क्षेत्र है उस स्थिति में कंपनी क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक जो भूजल का उपयोग करेंगे तो उसका परमिशन आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या कंपनी नहीं लगेगी। यहाँ के प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क बनी है उसमें केवल 15 टन परिवहन की अनुमति है फिर कंपनी में जो 60 टन तक का डम्पर आयेगा उसके लिये कंपनी क्या सड़क का निर्माण करेगी। यहाँ से डेढ़ किलो मीटर जो बरपाली, सराईपाली, जमडबरी, गौरमुड़ी गांव है। कंपनी 24 घंटे ई. एस. पी. चलाये। गांव के घरों में सफेद कपड़े सुखा दीजिए वह काले हो जायेंगे। अगर इसी तरह ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग उद्योगों के द्वारा किया गया तो 2015 तक सब को मिनरल वॉटर पीना पड़ेगा।

543. गणेश राम भगत, देलारी – मैं रुपानाधाम का विरोध करता हूँ। क्योंकि वह सब कुछ फर्जी दे रहा है।
544. रांगुराम, अमलीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
545. सुखदेव भगत, देलारी – समर्थन करता हूँ।
546. बोधन, देलारी – समर्थन करता हूँ।
547. धनसाय गुप्ता, देलारी – इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ। जो समर्थन करते हैं वे कहते हैं विकास हो गया है। 2001 में बीमारी 8 प्रतिशत बीमारी थी आज 20 प्रतिशत हो गया है। विकास बिमारियों का हुआ है या कंपनी का। कंपनियों के द्वारा दूषित जल को फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलने दिया जायेगा। इस पंडाल के पीछे जो गड्ढा है उसमें गंदा पानी डाला गया है, जिसमें अगर मवेशी को छोड़ दिया जायेगा तो वे मर जायेंगे। कंपनी अपना गंदा पानी बाहर न छोड़े।
548. गंगाराम, भैसगढ़ी – हमारा फैक्ट्री को समर्थन है।
549. सुग्रीव, भैसगढ़ी – मैं जिंदल को समर्थन करता हूँ।
550. भगत राम सिदार, पाली – मैं इस कंपनी को विरोध करता हूँ।
551. बाबूलाल गुप्ता, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
552. रामेश्वर राय, पूंजीपथरा – हम फैक्ट्री नहीं आने देंगे।
553. महेश राम, भैसगढ़ी – मैं गरीब हूँ, मेरा जमीन केलो नदी में चला जा रहा है।
554. नवीनलाल, भैसगढ़ी – समर्थन करता हूँ।
555. शेरूलाल, भैसगढ़ी – समर्थन करता हूँ।
556. प्यारेलाल, भैसगढ़ी – समर्थन करता हूँ।
557. विकाश शर्मा, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध है।
558. रुकमणी, देलारी – मैं समर्थन में आई हूँ लेकिन विरोध में जा रही हूँ।
559. नवीन सिंह, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
560. दुष्यंत प्रताप, देलारी – रुपानाधाम का विरोध करता हूँ।

561. विरेन्द्र कुमार चौहान, देलारी – कंपनी का विरोध करता हूँ।
562. भोजराम गुप्ता, देलारी – कंपनी का विरोध करता हूँ।
563. हेमंत प्रधान, देलारी – रुपानाधाम का विरोध करता हूँ क्योंकि हमारे चारो तरफ का पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। खांसने से धुंआ निकलता है। मैं अन्य फैक्ट्रियों का भी विरोध करता हूँ।
564. विद्यासागर प्रधान, जकेला – हम सब सुखी है।
565. अजय कुमार गुप्ता, देलारी – मैं इस रुपानाधान का विरोध करता हूँ। मैं सराईपाली स्कूल में अध्ययनरत हूँ। इस फैक्ट्री से जो धुंआ निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसको रोकना चाहिए। इस पुस्तक में जो दूषित लिखा है उसे काटकर स्वच्छ लिखा जाये। हम लोग पढने के लिये सराईपाली जाते हैं लेकिन जिंदा वापस आ पायेंगे की नहीं यह पता नहीं रहता क्योंकि इस सड़क में इतना ज्यादा गाड़ी चलता है। हम छात्र हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो शिक्षक हमको बोलेंगे। मेरे विरोध करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि जो होना है वह होके रहेगा।
566. विद्याधर यादव, गेरवानी – विरोध करता हूँ।
567. गौतम दास, गेरवानी – विरोध करता हूँ।
568. अजय श्रीवास, गेरवानी – रुपानाधाम का विरोध करता हूँ।
569. अंजली कुमार उनसेना, चिरईपानी, उप सरपंच, लाखा – रुपानाधाम का विरोध करता हूँ।
570. नवीन राजपूत, चिरईपानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
571. डमरुधर पंडा, चिरईपानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ। अभी जो भाईयों ने प्रदूषण, पानी, सड़क दुर्घटना के बारे में बताया है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हम कुछ करेंगे तो हमको पकड़ लिया जायेगा। यह प्रशासन की गलती है, या हम लोगों को डराया जा रहा है।
572. मोहन लाल, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
573. डिलेश्वर साहु, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
574. रंजीत कुमार, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
575. कन्हैया भट्ट, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
576. चन्द्रशेखर, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
577. करम सिंह, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
578. मनोहर प्रसाद, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
579. रविशंकर, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
580. दिलीवर सिंह राजपूत, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
581. गोकुल सिदार, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
582. बबलू यादव, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
583. उषा कुमार, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
584. सूरज लाल भोय, भैंसगढ़ी – मेरा समर्थन है।
585. संतराम, भैंसगढ़ी – मेरा समर्थन है।
586. सहदेव यादव, भैंसगढ़ी – मैं समर्थन करता हूँ।
587. गणेश, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
588. छोटू, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।

589. अभिलाल,गेरवानी – विरोध करता हूँ।
590. भगत लाल, बरपाली – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
591. सुन्दर लाल, बरपाली – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
592. श्याम लाल, बरपाली – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
593. भोजदास महंत, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
594. संतोष दास, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
595. राजेश, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
596. त्रिलोचन गुप्त, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
597. मुकेश अग्रवाल, गेरवानी – जैसे उद्योग प्रबंधन के द्वारा कहा गया है कि वह भू-जल का उपयोग करेगा, मुझे बोर खुदवाने हेतु 2 महीने पहले परमिशन नहीं मिला। उद्योग के द्वारा 835 घन मीटर पानी जब बोर से लिया जायेगा तो इस क्षेत्र में भू-जल स्तर गिर जायेगा, इस रोड़ के किनारे गेरवानी और सराईपाली का स्कूल है, अगर इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन होगा, दुर्घटना की जिम्मेदारी उद्योग प्रबंधन की होगी। कुछ दिन पहले रायगढ़ में दुर्घटना हुई थी तो नो एंट्री लगा दिया गया था। यहा पर भी नो एंट्री लगा दिया जाये।
598. विनोद कुमार उनसेना, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
599. परत राम कंवर, गेरवानी – रुपानाधाम का विरोध करता हूँ।
600. मुकेश कुमार कूजुर, गेरवानी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
601. पुनीराम सिदार, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
602. लाभोराम, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
603. हरिसिंह, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
604. भागीरथी,बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
605. लखन लाल सिदार, बरपाली – विरोध करता हूँ।
606. नेहरुलाल, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
607. जेटूराम, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
608. परदेशी, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
609. नंदलाल, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
610. किशोर कुमार सिदार, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
611. अनंत राम, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
612. सुन्दरलाल भोय, बरपाली – मैं 2009 में यहां काम कर रहा था, मुझको बिना कारण के निकाल दिया गया है और एक दिन का मजदूरी भी नहीं दिया गया है। हमारे साथी जो बात कह गए है, सड़क, पानी मिट्टी के बारे में ध्यान देकर फैंक्ट्री चालू करे, फैंक्ट्री के द्वारा जो राखड़ फेंक दिया गया है उसमें जानवर फंस रहे हैं, उसपर ध्यान दिया जाये। उद्योग के आस-पास आग फेंक दे रहे हैं, जिसमें जल रहे हैं, उस पर ध्यान दें।
613. तिरपति लाल भोय, देलारी – मैं विरोध करता हूँ।
614. अनिल कुमार प्रधान, पूंजीपथरा – मैं समर्थन करता हूँ।
615. अशोक कुमार पाण्डेय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
616. गुनी लाल रात्रे, गेरवानी – कंपनी का विरोध करता हूँ।
617. रमेश खूंटे, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
618. परमेश्वर कुमार, गेरवानी – कंपनी का विरोध करता हूँ।

619. रामेश्वर सिदार, देलारी – मैं कक्षा ग्यारहवी का छात्र हूँ मैं अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूँ। मजदूरों का शोषण क्या है, मजदूरों का, आक्सीजन का, भूजल का, शोषण किया जा रहा है। मानव और जीव कितना प्रतिशत कार्बन मोनो आक्साईड गैस सहन कर सकते हैं। 10 किलो मीटर के अंतर्गत गेरवानी और अन्य छः पंचायत हैं, जिसमें 30000 जनता निवास करते हैं और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं, उन पर प्रदूषण का क्या असर होगा, इसकी जानकारी दी जाये। आज सबसे संकट में है पेयजल 10 किलो मीटर के अंदर 6 स्पंज ऑयरन उद्योग हैं। शासन प्रशासन अंधी है। जल का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। आज सराईपाली में एक छात्र संगठन बनाया था, मुझे धमकी दिया गया कि मुझे काट दिया जायेगा। टीचर लोगों ने हमें धमकी दी और कहा की आपकी टीसी काट दिया जायेगा। हमको सराईपाली के लोगों ने धमकाया और आने नहीं दिया गया।
620. खुशीराम अजय, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
621. घनश्याम, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
622. धर्मेन्द्र कुमार, गेरवानी – मैं इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
623. विधिभूषण नंदे, गेरवानी – मैं इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
624. श्याम अग्रवाल, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ, लोगों को समर्थन कराया जा रहा है उनको जानकारी नहीं है कि उद्योग लगने से क्या प्रभाव पड़ेगा ? उद्योग के द्वारा हमको मारने पीटने की धमकी दिया गया और पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा था। सराईपाली रोड़ प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसकी क्षमता 12-15 टन के आवागमन के तहत् बनाया गया है। इस मार्ग में 20-30 टन कोयला का परिवहन किया जा रहा है। जिससे सड़क खराब हो रहा है। उद्योग अलग से सड़क का निर्माण करे, इस मार्ग में किसानों के अपने अनाज बेचने जाने हेतु बनाया गया है। हम छात्र पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन वापस आयेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जिंदल द्वारा कहा गया था, कि इस मार्ग में डिवाईडर बनाया जायेगा, स्पीड ब्रेकर बनाया जायेगा, लेकिन नहीं बनाया गया है। सभी को बोलने का अवसर दिया जाये। हमारे विरोध दर्ज कराने से उद्योग तो रुकेगा नहीं वह तो लगेगा ही, लेकिन हम विरोध करते रहेंगे।
625. मनमोहन गुप्ता, देलारी – मैं विरोध करता हूँ, हमारे आस-पास के छात्र-छात्रा पढ़ने जाते हैं, इस मार्ग में भारी वाहन चलते हैं, छात्राओं को देखकर सीटी बजाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
626. महेन्द्र कुमार वर्मन, गेरवानी – मैं इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
627. सुनील निराला, गेरवानी – मैं इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ।
628. चक्रधर कुमार भोय, देलारी – मैं गेरवानी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं जब घर से निकलता हूँ, तो अपने चेहरे को पोछता हूँ तो रुमाल साफ रहता है, स्कूल पहुँच कर पोछता हूँ तो रुमाल काला हो जाता है। वह कैसे काला हो जाता है। पेड़ पौधे मर जाते हैं, क्यों मरते है। मैं रुपानाधाम का ही नहीं पुरे फैक्ट्रियों का विरोध करता हूँ।
629. अशोक कुमार पण्डा, डेहरीडीह – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
630. श्याम लाल, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
631. अरुण कुमार, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
632. बलराम राठिया, अमलीडीह – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।

633. अशोक पैकरा, सराईपाली – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
634. अमित, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
635. संजय, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
636. सुदर्शन, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
637. अमित कुमार, तुमीडीह – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
638. मुकेश कुमार, सराईपाली – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
639. अजय सिंह, सराईपाली – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
640. छोट्टू, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
641. संतोष कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
642. जय कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
643. प्रमोद कुमार सिंह, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
644. आफताब, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
645. मुर्ति सिंह, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
646. राकेश यादव, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
647. राजकुमार गुप्ता, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
648. रोहित शर्मा, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
649. विक्की पटेल, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
650. शंकर चौधरी, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
651. आनंद भोय, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
652. चन्द्रशेखर सिंह, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ। रोजी रोटी से चारचांद लग सकती है।
653. राजेन्द्र, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
654. राजू कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
655. शंकर गुप्ता, देलारी – यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा; बताया जाता है, यहाँ कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है इसकी जानकारी दी जाये। यहाँ किसान इतना उत्पादन करता था कि अपना जीवन यापन कर लेता था, लेकिन आज प्रदूषण के कारण गोभी का उत्पादन नहीं हो रहा है, जो गोभी 50 से 60 रुपये किलो बिकता था, वह अब 4 से 5 रुपये किलो में बेचना पड़ता है, जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा कौन देगा। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है तो इस जन सुनवाई को रोक दिया जाये। मैं इसका विरोध करता हूँ।
656. अशोक पाठक, तुमीडीह – विरोध करने से उद्योग बंद नहीं हो सकता, अगर उद्योग प्रदूषण छोड़ता है तो मानव भी तो कार्बन डाई आक्साईड छोड़ता है तो उसे मार देना चाहिए। सड़कें क्या दिल्ली और मुंबई में संकरी नहीं हैं, यहाँ भी चौड़ी हो जायेंगे। मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
657. वकील, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
658. मुन्ना कुमार पाण्डे, भालूमर – मैंने भी जिंदल का विरोध किया। एम. एस. सी. करके बिहार, झारखंड, और बहुत सारे प्रदेश में घूमा लेकिन नौकरी नहीं मिली और इण्डस्ट्रीयल पार्क में मुझे अपने घर के पास नौकरी मिली। आज 15000 तनखाह पाता हूँ। भारी वाहन तो चलेंगे, उस पर नियंत्रण किया जाये। जापान,

- चीन और अमेरीका जैसे विकसित देश बनाना है, तो उद्योग लगाया जाये। मेरा सपोर्ट है।
659. विनोद सिन्हा, तुमीडीह – मैं इस प्लांट का पूर्ण समर्थन करता हूँ। रायगढ़ में तो बहुत छोट-छोटे प्लांट हैं। टाटा, जिंदल, रिलायंस जैसे उद्योग अगर इस देश में नहीं होता तो देश का विकास नहीं होता। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।
660. वीजेन्द्र कुमार, तुमीडीह – उद्योग लगेगा तो विकास होगा, 10 वर्ष पहले हम लोग बाहर रोजगार के लिये जाते थे, लेकिन आज यहीं काम मिल जाता है। अपने बलबूते पर काम करो विरोध करने से कुछ नहीं होगा। उद्योग लगाओं, विकास बढ़ाओं।
661. जितेन्द्र प्रताप सिंह, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ।
662. अजय कुमार, पूंजीपथरा – मैं समर्थन करता हूँ।
663. बाबूलाल, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
664. नंद कुमार, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
665. मोहित राम, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
666. परदेशी सिदार, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
667. वीरु पटेल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
668. प्रीतम कुमार, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
669. राजू कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
670. वेद नारायण, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
671. अमित सिंह, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
672. रंजीत कुमार साहु, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
673. रोशन गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
674. पुनीराम, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
675. पुनउराम, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
676. नेतराम राठिया, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
677. संतराम, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
678. चमराराम, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
679. परमेश्वर प्रधान, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
680. सतपाल गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
681. जयलाल, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
682. उमेश गुप्ता, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
683. तीजलाल, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
684. बोधराम भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ। ग्राम सराईपाली के आस-पास जो भी उद्योग लगे हैं वे हमारे गांव का विकास करते हैं। गांव में मीटिंग रखा गया था, और समर्थन हुआ है कि उद्योग को विस्तार का समर्थन दिया जायेगा। उद्योग प्रबंधन द्वारा जहां भी शिक्षा की कमी है वहाँ सुविधा दिया जा रहा है। हाई स्कूल में वायरिंग कराया गया है। बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जो भी हमारे पास आयेगा उसको हम रोजगार दिलायेंगे। हम उद्योगों का समर्थन करेंगे।
685. त्रिलोचन प्रसाद गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
686. कुलदीप भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।

687. उमेश कुमार यादव, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
688. ऋषि गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
689. हरिष गुप्ता, रायगढ़ – मैं रुपानाधाम का समर्थन करता हूँ।
690. अरुण कुमार भोई, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
691. अमित कुमार, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
692. राहत राम खम्हारी, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
693. गिरधारी लाल प्रधान, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
694. चन्द्रीका प्रसाद, भुईकुर्ी – हम अच्छा खा पी रहे हैं । मैं समर्थन करता हूँ।
695. खीर सागर मालाकार, उप सरपंच, बड़ेगांव – मैं समर्थन करता हूँ।
696. गंगाधर प्रधान, सराईपाली – उद्योग लगने से क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मैं समर्थन करता हूँ।
697. जयपाल गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
698. संतोष कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
699. तीजमणी प्रधान, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
700. दुर्गा प्रसाद गुप्ता, खड़कपुर – मैं समर्थन करता हूँ। हमारे विरोध करने से प्लांट नहीं रुकेगा।
701. श्रीनाथ गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
702. विजय कुमार भोय, सराईपाली – मैं नवदुर्गा में काम करता हूँ। किसी भी क्षेत्र में जब फैक्ट्री आती है तो उस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का विकास होता है। मैंने पहली बार इस क्षेत्र से आई. टी. आई. किया है। हमारे भाई लोग आज इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास हो रहा है। कुछ साल पहले नलवा में एक स्वास्थ्य शिविर लगा था, और हर घर के लोगों को मच्छरदानी दिया गया था, जिससे इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ के गौटिया हैं लेकिन 10 साल पहले हमारे पास भी पैसा नहीं बचता था, लेकिन कंपनी के आने से विकास हुआ है । मैं सभी उद्योगों का समर्थन करता हूँ।
703. दिलीप कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
704. सरोज कुमार भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
705. किर्तन प्रसाद, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
706. संजय कुमार गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
707. राजेश गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
708. निमाई गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
709. मनोज गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
710. संदीप कुमार भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
711. बाबाजी गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
712. राघव राम भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
713. सूरज गुप्ता, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
714. युवराज नायक, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
715. गंगा साय, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
716. कुंवर तिग्गा, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
717. जीवन तिर्की, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।

718. सुनील कुमार, तरईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
719. मंगल कुमार, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
720. नेतराम, समारुमा – मैं समर्थन करता हूँ।
721. सदानंद गुप्ता, तुमीडीह – फैक्ट्री आने से रोजगार मिलेगा। मैं समर्थन करता हूँ।
722. संपति दयाल, छैडोलिया – मैं समर्थन करता हूँ।
723. राजू कुमार पण्डा, अमलीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
724. सहदेव कुमार, छैडोलिया – मैं समर्थन करता हूँ।
725. टिकेश्वर मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
726. हुलस राम मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
727. मुन्ना प्रसाद, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
728. जयदेव मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
729. भागीरथी मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
730. हेमराज मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
731. नरसिंग मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
732. सहदेव मालाकार, बड़गांव – मैं समर्थन करता हूँ।
733. अक्षय कुमार भोय, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
734. प्रितम, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
735. अमूल कुमार, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
736. धर्मराज, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
737. चूणामणी पटेल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि उद्योगों के विकास से हमारे सम्यता का विकास होगा।
738. संदीप मित्तल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
739. उद्धव पंडा, गौरमुड़ी – मैं समर्थन करता हूँ।
740. शकुनराम, खड़कपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
741. श्याम सुन्दर उनसेना, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
742. सुरेश कुमार नायक, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
743. सुनाराम चौहान, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
744. संतराम, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
745. पवन सिंह, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
746. नामचन्द्र, बरपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
747. कुसमत राव, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
748. द्वरिका सिंह ठाकुर, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ।
749. मया राम सिदार, डारआमा – मैं समर्थन करता हूँ।
750. जगदीश यादव, डारआमा – मैं समर्थन करता हूँ।
751. उचित राम राठिया, जिवरी – मैं समर्थन करता हूँ।
752. तिहारू राम रठिया, राबो – मैं समर्थन करता हूँ।
753. ओम शर्मा, रायगढ़ – मैं विरोध करने वालो का विरोध करता हूँ। और इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।
754. संजय अग्रवाल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
755. महेन्द्र अग्रवाल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अगर जी.डी. पी. बढ़ना है तो हमें उद्योग लगाना होगा।

756. सुरेन्द्र कुमार भोय, – मैं समर्थन करता हूँ।
757. रविन्द्र अग्रवाल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
758. विजय सिंह, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
759. जगत राम भोय, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
760. कन्हैया लाल, पंच, तुमीडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
761. इम्तीयाज खान, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
762. घनश्याम दास गर्ग, पूंजीपथरा – मैं समर्थन करता हूँ।
763. पांछानिधि भोय, – मैं समर्थन करता हूँ।
764. हरिहर डनसेना, खड़कपुर – कंपनी ने यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा बताया गया है। इसलिये मैं समर्थन करता हूँ।
765. नवीन कुमार गुप्ता, देलारी – इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
766. अशोक कुमार गुप्ता, देलारी – कई लोगों ने कहा विकास हुआ है, लेकिन अपराध बिमारियो, दुर्घटना, अत्याचार का विकास हुआ है। किसान की फसल बर्बाद होने का विकास हुआ है। तापमान में वृद्धि का विकास हुआ है। इसी विकास में किसान लोग जीवन यापन कर रहे हैं।
767. राधेश्याम शर्मा, जनजागरण मंच, रायगढ़ – मैं आज प्रशासन के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूँ; कल के जन सुनवाई में हमारे क्षेत्र के जन प्रतिनिधि के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब तत्काल दिया गया और आज एक छात्र ने जब आज प्रश्न पूछा तो उससे कहा गया कि यह प्रश्न मंच नहीं है कहा गया, यह द्वी पक्षीय बातें होनी चाहिए। जन सुनवाई की प्रक्रिया भारत के राजपत्र में निर्धारित किया गया है, जिसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया है। जन सुनवाई का जो नियम है उसमें समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए। बिन्दुवार आपत्ति जब दर्ज कराया जा रहा है। उसको दर्ज करने दिया जाये। इस क्षेत्र में प्लांट का विस्तार होना है कि नहीं इसकी जांच की जानी चाहिए। शासन और पर्यावरण विभाग ने जो केस दायर किया है, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों की सुनवाई तत्काल होना चाहिए। मैं लिखित में एफ. आई. आर. दर्ज कराऊंगा उस पर कठोर कार्यवाही की जाये। देश के न्यायपालिका में 75 प्रतिशत भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रदूषण और दुर्घटना को कैसे रोका जायेगा। जब अधिकारी यह जान रहे हैं कि ई. आई. ए. गलत है फिर यह जन सुनवाई कैसे की जा रही है। उद्योगों के ई. एस. पी. में अलग से मीटर लगवाया जाये और एक घंटे में कितना लोड होता है इसकी जानकारी हो ताकि उद्योग के द्वारा ई. एस. पी. को सतत चलाया जाये। ई. एस. पी. में बिजली बचाने के लिये प्रदूषण न फैलाये। यह एक वोटिंग प्रक्रिया हो जा रहा है। वोटर आईडी जैसी व्यवस्था की जाये। जिला प्रशासन जन सुनवाई हेतु प्रक्रिया में सुधार करे और प्रदूषण नियंत्रण में कारगर व्यवस्था कर सके।
768. डिग्री चौहान, पुसौर – मैं रुपानाधान स्टील का विरोध करता हूँ। निश्चित तौर पर प्राकृतिक संसाधन के कारण इस क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित किया है, लेकिन इस क्षेत्र के उद्योगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आम आदमी की नजर में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है।

769. जयंत बहिदार, संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – लोक सुनवाई की प्रक्रिया को जिला प्रशासन के द्वारा जो नियम है उसके तहत नहीं कराया जा रहा है, इसलिये जो लोक सुनवाई गलत ढंग से हो रहा है मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसी जन सुनवाई का मैं विरोध करता हूँ।
770. पंकज अग्रवाल, सराईपाली – मैं रुपानाधाम स्टील का समर्थन करता हूँ। क्योंकि उद्योग लगने से लोगों को काम मिलेगा, इसलिये मैं उद्योग के क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूँ।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि श्री पवन अग्रवाल, डायरेक्टर तथा माहेश्वर रेड्डी, ई. आई. ए. कंसलटेंट एवं कंपनी प्रतिनिधि ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 5.00 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)